

राअं/एसएलबीसी/2016-17/620

दिनांक: 05 अक्टूबर 2016

संयुक्त सूचना (Joint Note)

समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान

समस्त नियंत्रक, सदस्य बैंक, राजस्थान

विषय: पं. दीनदयाल उपाध्याय जनकल्याण पंचायत शिविरों के आयोजन के संबंध में.


राज्य सरकार के द्वारा दिनांक 14.10.2016 से प्रदेश में पं. दीनदयाल उपाध्याय जनकल्याण पंचायत शिविरों का आयोजन किया जाना प्रस्तावित है. प्रस्तावित शिविरों में राज्य सरकार की विकासपरक गतिविधियों को संचालित कर रहे संबंधित विभाग सहभागिता कर शीर्ष अधिकारियों की उपस्थिति में जनकल्याण से सम्बद्ध विभिन्न गतिविधियां संपादित करेंगे.

समग्र विकास हेतु वित्तीय समावेशन की उपरोक्त पहल में प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर प्रस्तावित शिविर के अंतर्गत राजकीय गतिविधियों के साथ साथ भामाशाह एवं प्रधानमंत्री जन-धन योजना से सम्बन्धित निम्नलिखित कार्य भी सम्पादित किये जाएंगे :-

1. राजकीय योजनाओं के लाभार्थियों के बैंक खाते खोलने के आवेदन भरवाना.
2. बैंक खातों में आधार सीडिंग के सहमति पत्र प्राप्त करना.
3. बैंक खाताधारकों को रूपे कार्ड व पिन का वितरण/बी.सी. पीओएस से रूपे कार्ड का एक्टिवेशन.
4. ई-मित्र को बी.सी. नियुक्त करने हेतु चिन्हित करना.
5. बी.सी. के द्वारा पीओएस से नकद आहरण की सुविधा प्रदान करवाना.
6. मुद्रा योजना के तहत पात्र आवेदकों के आवेदन तैयार करवाना.
7. प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा, जीवन ज्योति बीमा व अटल पेंशन योजना हेतु नामांकन करवाना.


इन शिविरों में नागरिकों को राजकीय एवं बैंकिंग सेवाओं का अधिकाधिक लाभ दिया जाना सुनिश्चित करने हेतु ग्राम पंचायत स्तर के इन शिविरों में राज्य सरकार के समस्त विभागीय अधिकारी तथा बैंक शाखा के प्रतिनिधि उपस्थित होकर अपने अपने कार्यों को संपादित करेंगे.

इन शिविरों के लिए जिलेवार विस्तृत कार्यक्रम संबंधित जिला कलक्टर जारी कर राज्य सरकार के विभागों को सूचित करेंगे तथा बैंकों के नियंत्रक एवं अग्रणी जिला प्रबंधक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर संचालित संबंधित बैंक की शाखाओं को कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी अद्योतित करेंगे.



(आर.के.माथुर)

संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति,
राजस्थान



(अखिल अरोरा)

शासन सचिव, आयोजना एवं सूचना प्रौद्योगिकी,
राजस्थान सरकार